राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 592/2014

महेन्द्र कुमार अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.07.2014
आदेश की दिनांक : 23.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 03.01.1986 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिप्लोमाधारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.10.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2008 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.09.2002 (अनुलग्नक–3) को नियुक्ति तिथि 31.10.1987 (अनुलग्नक–4) मानते हुए वरिष्ठता प्रदान की गई है। अपीलार्थी की नियुक्ति 03.01.1986 को जारी आदेश द्वारा की गई है। अपीलार्थी दिनांक 04.01.1986 से वरिष्ठता का हकदार है। अपीलार्थी को अब तक के सभी वेतन वृद्धियां भी दिनांक 04.01.1986 से दी गई है और 09, 18 एवं 27 वर्ष का लाभ भी दिनांक 04.01.1986 से दिया गया है। अतः दिनांक 31.10.1987 (अनुलग्नक–4) से नियुक्ति तिथि मानकर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना गलत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2014 (अनुलग्नक–8) द्वारा वर्ष 1997–98 से 2011–12 तक सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी की गई, जिसमें अपीलार्थी को वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अभियन्ता के रूप में पदोन्नत किया गया, जो गलत है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 04.01.1986 से वरिष्ठता प्रदान की जावे एवं अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 06.06.2014 (अनुलग्नक–8) को निरस्त करने दिनांक 04.01.1986 से वरिष्ठता प्रदान करने एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर वर्ष 1996–97 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति करने का अनुतोष चाहा है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता

प्रदान की जाकर समस्त पारिणामिक परिलाभ और पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 03.01.1986 को आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर प्रारम्भिक रूप से तीन माह के लिए की गई थी, जिसे समय–समय पर बढाया गया। परन्तु अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति विभाग के आदेश दिनांक 31.10.1987 द्वारा की गई है। इसी आधार पर दिनांक 31.10.1987 से वरिष्ठता प्रदान की गई है। अतः 31.10.1987 से वरिष्ठता का अंकन किए जाने के आधार पर रिव्यू डीपीसी आयोजित कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.06.2014 पूर्णतः नियमानुसार है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 06.06.2014 (अनुलग्नक–8) को जारी आदेश जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारियों के वर्ष 1997–98 से वर्ष 2011–12 तक के रिक्त पदों हेतु रिव्यू डीपीसी की गई, जिसमें अपीलार्थी के पदोन्नति वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है, को अपास्त करने और अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 04.01.1986 से वरिष्ठता प्रदान करने हुए नये सिरे से डीपीसी करने और समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 04.01.1986 को मैन पॉवर डिमार्टमेन्ट सचिवालय के जारी आदेश दिनांक 03.01.1986 (अनुलग्नक–1) के द्वारा की गई है, जबकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.09.2002 (अनुलग्नक–3) को नियुक्ति तिथि 31.10.1987 मानते हुए वरिष्ठता प्रदान की गई है, जो गलत है। अपीलार्थी की नियुक्ति 03.01.1986 को जारी आदेश द्वारा की गई है। लिहाजा अपीलार्थी दिनांक 04.01.1986 से वरिष्ठता का हकदार है। अपीलार्थी को अब तक के सभी वेतन वृद्धियां भी दिनांक 04.01.1986 से दी गई है और 09, 18 एवं 27 वर्ष का लाभ भी दिनांक 04.01.1986 से दिया गया है। अतः लिहाजा 31.10.1987 (अनुलग्नक–4) से नियुक्ति तिथि मानकर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना गलत है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाकर समस्त पारिणामिक परिलाभ और पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 03.01.1986 को आवश्यक अस्थाई आधार पर प्रारम्भिक रूप से तीन माह के

लिए की गई थी, जिसे समय–समय पर बढाया गया। परन्तु अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति विभाग के आदेश दिनांक 31.10.1987 द्वारा की गई है अतः जारी वरिष्ठता सूची में दिनांक 31.10.1987 से वरिष्ठता का अंकन एवं इस आधार पर रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलाधीन पदोन्नति आदेश 06.06.2014 पूर्णतः नियमानुसार है, जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किए जाने की कोई गुंजाईश नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन, मनन एवं अनुशीलन किया। उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 03.01.1986 (अनुलग्नक–1) द्वारा पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर तीन माह के लिए कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद पर नियुक्ति दी गई है। अपीलार्थी डिप्लोमाधारी है। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 31.10.1987 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रदान की गई है एवं जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.09.2002 (अनुलग्नक–3) में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 31.10.1987 अंकित है एवं उसकी अन्तिम वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 06.06.2014 (अनुलग्नक–8) में अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के अनुसार वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की गई। अपीलार्थी की दिनांक 31.10.1987 से पूर्व की सेवाएं, जो पूर्णतः Urgent Temporary Basis पर थी, को नियमित किए जाने संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक 31.10.1987 से वरिष्ठता दिये जाने और तद्नुसार पदोन्नति दिए जाने की समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य